

प्रेस नोट

थाना बाबूगढ जनपद हापुड

दिनांक 26.12.2020

थाना बाबूगढ पुलिस एवं जनपदीय टीम बी द्वारा 25000 रुपये का इनामी बदमाश मय तीन बदमाशो सहित बाद मुठभेड गिरफ्तार

❖ संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड के आदेशानुसार वाछित अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हापुड व क्षेत्राधिकारी हापुड नगर जनपद हापुड के निकट पर्यवेक्षण मे थाना बाबूगढ पुलिस एवं जनपदीय टीम बी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2020 को दौराने चैकिंग शातिर अभियुक्त 1. देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाड़गर पुत्र लखन सिंह निवासी ग्राम भंगेल थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर, 2. आनन्द पुत्र भूपेन्द्र चौधरी निवासी टाउन शिप चौराहे के पास , सैनिक कालोनी थाना हाइवे मथुरा, 3. जितेन्द्र पुत्र सुनील कुमार निवासी बिनूपुर जरलिया थाना लौधा जिला अलीगढ, 4. पवन पुत्र होशियार सिंह निवासी गली नं0 2 संजय नगर थाना सारंग जिला फरीदाबाद, हरियाणा को मय महैन्द्रा एक्सयूवी 500 नं0 DL 12 GA 5254 एवं तीन अदद तमंचे एवं 02 खोखा कारतूस एवं 5 जिन्दा कारतूस 315 बोर के बछलौता नहर पुल से बनखण्डा की तरफ गये रास्ते पर अल्लीपुर से आगे नहर पटरी पर समय करीब 21.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दो बदमाश मौके से भाग गये हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण से 2 रस्सी, 6 आरसी विभिन्न गाडियों की, मु0अ0सं0 460/20 धारा 392 भादवि में लूटे गये कैन्टर के कागजात मौके से बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.12.2020 को अलीगढ में अतरौली में बरामदा एक्सयूवी 500 से एक शराब का कैन्टर फायर करके लूट लिया था तथा ड्राइवर को थाना बाबूगढ क्षेत्र में छोड दिया था। जिस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पर मु0अ0सं0 460/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। मुठभेड में अभियुक्त देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाड़गर पुत्र लखन सिंह निवासी ग्राम भंगेल थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर घायल हुआ है। अभियुक्त देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाड़गर उपरोक्त व उसके साथी शातिर किस्म के लुटेरे हैं तथा अभियुक्त देवराज थाना बीटा -2 जिला गौतमबुद्धनगर में हुई इण्डियन बैंक में हुई लूट में वांछित भी है तथा संज्ञान में आया है कि अभियुक्त देवराज की गिरफ्तारी हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर से 25000/- रु0 का इनाम घोषित है।

नाम पता अभियुक्तगण गिरफ्तार शुदा:-

1. देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाड़गर पुत्र लखन सिंह निवासी ग्राम भंगेल थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर,
2. आनन्द पुत्र भूपेन्द्र चौधरी निवासी टाउन शिप चौराहे के पास , सैनिक कालोनी थाना हाइवे मथुरा,
3. जितेन्द्र पुत्र सुनील कुमार निवासी बिनूपुर जरलिया थाना लौधा जिला अलीगढ,
4. पवन पुत्र होशियार सिंह निवासी गली नं0 2 संजय नगर थाना सारंग जिला फरीदाबाद, हरियाणा

बरामदगी –

1. एक महैन्द्रा एक्सयूवी 500 नम्बर DL 12 GA 5254
2. तीन अदद तमंचे एवं 02 खोखा कारतूस एवं 5 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 2 रस्सी, 6 आरसी विभिन्न गाडियों की,
4. 8 नम्बर प्लेट विभिन्न गाडियों की

आपराधिक इतिहास –

1. देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाइगर पुत्र लखन सिंह निवासी ग्राम भंगेल थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर

1. मु0अ0सं0 448/18 धारा 342, 394 भादवि थाना परियाली जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 63/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना परियाली जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 113/19 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि थाना ईकोटेक जिला गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 82/17 धारा 379 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 89/17 धारा 392 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 195/17 धारा 342, 392 थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 233/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 486/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0सं0 634/20 धारा 489 ए, 489बी, 489सी, 489 डी थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0सं0 588/20 धारा 394, 342 भादवि थाना बीटा 2 जनपद गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0सं0 460/20 धारा 392, 411 भादवि थाना बाबूगढ हापुड
12. मु0अ0सं0 466/20 धारा 307 भादवि थाना बाबूगढ हापुड
13. मु0अ0सं0 467/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूगढ हापुड

शेष अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

थाना बाबूगढ

1. प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह थाना बाबूगढ हापुड
2. व0उ0नि0 श्री संजेश कुमार थाना बाबूगढ हापुड
3. मुख्य आरक्षी 110 जयवीर भडाना बाबूगढ हापुड
4. का0 319 सतेन्द्र कुमार थाना बाबूगढ हापुड
5. का0 456 नवनीत कुमार थाना बाबूगढ हापुड

जनपदीय टीम बी

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह
2. मुख्य आरक्षी 162 संजय सिंह
3. आरक्षी 104 अनुज कुमार
4. आरक्षी 173 कुलदीप कुमार
5. आरक्षी 178 सचिन त्यागी
6. आरक्षी 445 हरेन्द्र सिंह

सर्विलांस टीम

1. आरक्षी 263 अजीत कुमार
2. आरक्षी 147 प्रदीप कुमार
3. आरक्षी 303 जसवन्त कुमार

